Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC)

सामान्य हिन्दी एवं पत्र लेखन

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: MPM06

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC)

सामान्य हिन्दी एवं पत्र लेखन

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 011-47532596, 87501 87501
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

MPPCS DLP

विषय सूची (Contents)

1.	**हिन्दी भाषा का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप**	**5–10**
2.	**हिन्दी भाषा का विकास काल**	**11–19**
3.	**देवनागरी : एक दृष्टि में**	**20–23**
4.	**वर्ण विचार : वर्णमाला एवं वर्तनी**	**24–38**
5.	**उपसर्ग और प्रत्यय**	**39–58**
5.1	उपसर्ग	39
5.2	प्रत्यय	42
6.	**हिन्दी शब्द-भंडार (तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज एवं संकर शब्द)**	**59–65**
7.	**पल्लवन, लक्ष्य भाषा, स्रोत भाषा**	**66–69**
7.1	पल्लवन	66
7.2	लक्ष्य भाषा	68
7.3	स्रोत भाषा	69
8.	**हिन्दी की उपभाषाएँ व बोलियाँ**	**70–75**
9.	**हिन्दी वर्णमाला में विराम चिह्न**	**76–80**
10.	**हिन्दी व्याकरण के महत्त्वपूर्ण कारक**	**81–103**
10.1	संज्ञा	81
10.2	लिंग	82
10.3	वचन	83
10.4	कारक	86
10.5	सर्वनाम	89
10.6	क्रिया एवं उनके प्रकार	90
10.7	काल एवं उनके प्रकार	92
10.8	क्रिया-विशेषण	94
10.9	विशेषण	97
11.	**संधि एवं समास**	**104–122**
11.1	संधि	104
11.2	समास	115

12. विलोम शब्द **123–131**

13. पर्यायवाची शब्द **132–138**

14. समानार्थक/समानार्थी शब्द **139–142**

15. शब्द-युग्म **143–156**

16. मुहावरे एवं कहावतें (लोकोक्तियाँ) **157–185**

16.1 मुहावरे 157

16.2 कहावतें (लोकोक्तियाँ) 173

17. प्रशासनिक परिभाषिक शब्दावली **186–198**

17.1 अंग्रेज़ी से हिन्दी 186

17.2 हिन्दी से अंग्रेज़ी 191

18. प्रमुख रचनाएँ एवं रचनाकार **199–210**

19. मौलिक आत्मकथाएँ एवं कृतिकार **211–212**

20. हिन्दी में सर्वप्रथम **213–216**

21. प्रारूप लेखन (पत्र लेखन) **217–242**

21.1 पत्र 217

21.2 शासकीय पत्र 218

21.3 अर्द्ध-शासकीय पत्र 221

21.4 परिपत्र 223

21.5 प्रपत्र 225

21.6 आदेश/कार्यालय आदेश 227

21.7 विज्ञापन 230

21.8 अनुस्मारक/स्मरण-पत्र 231

21.9 पृष्ठांकन 232

21.10 अधिसूचना 234

21.11 टिप्पणी एवं टिप्पण लेखन 236

21.12 प्रतिवेदन 239

22. गद्यावतरण का अनुवाद **243–254**

23.1 हिन्दी से अंग्रेज़ी 243

23.2 अंग्रेज़ी से हिन्दी 247

23. गद्यांश का संक्षेपण एवं भाव-पल्लवन **255–265**

24. गद्यांश तथा उनसे संबंधित प्रश्न-उत्तर **266–272**

अध्याय
1

हिन्दी भाषा का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप

विश्व में प्रचलित हज़ारों भाषाओं में एक प्रमुख एवं महत्त्वपूर्ण भाषा हिन्दी भी है। विकसित एवं समृद्ध भाषाओं की श्रेणी में हिन्दी प्रमुखता से स्थापित है। हिन्दी न केवल भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा है, वरन् भारत के बाहर भी भारतीय मूल के प्रभुत्व वाले देश, यथा-फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद एवं टोबैगो आदि देशों की भी भाषा है। इस प्रकार, हिन्दी सांख्यिक और समृद्ध दोनों दृष्टिकोण से विश्व की प्रमुख भाषा है।

'भाषा' शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 'भाष' धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है—व्यक्त करना अथवा कहना संस्कृत में व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं। इस शाब्दिक अर्थ के अनुरूप 'भाषा' वह वाचिक माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने संपूर्ण मनोभावों एवं विचारों को व्यक्त करता है। इस प्रकार भाषा मनुष्य के मनोभावों के पारस्परिक आदान-प्रदान का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं व्यापक वाचिक माध्यम है। वाचिक माध्यम के समान ही लेखन भी भाषा का महत्त्वपूर्ण एवं सशक्त माध्यम है, जो लिपि-चिह्नों के प्रयोग से संभव हुआ है। इसी तरह, सांकेतिक माध्यम भी भाषा का एक अन्य माध्यम है। संक्षेप में, भाषा के उपर्युक्त तीनों माध्यमों का प्रयोग मनुष्य द्वारा अपने अन्यान्य भावों एवं विचारों की सार्थक एवं पूर्ण अभिव्यक्ति ही है।

भाषा के अर्थ स्पष्टीकरण हेतु हिन्दी के भाषाविदों ने इसे अपने-अपने स्तर से परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाओं का उल्लेख करना विशेष समीचीन होगा।

आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा के शब्दों में, "उच्चरित ध्वनि-संकेतों की सहायता से भाव या विचार को पूर्ण अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार-विनिमय या सहयोग करते हैं, उन यादृच्छिक, रूढ़ ध्वनि-संकेतों की प्रणाली को भाषा कहते हैं।"

डॉ. भोलानाथ तिवारी के अनुसार, "भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित प्रायः यादृच्छिक ध्वनि-प्रतीकों की वह व्यवस्था है, जिसके द्वारा किसी भाषा समाज के लोग आपस में विचारों का आदान-प्रदान करते हैं।"

एक **पाश्चात्य विद्वान क्रोचे** ने भाषा को परिभाषित करते हुए लिखा है, "भाषा सीमित और व्यक्त ध्वनियों का नाम है, जिन्हें हम अभिव्यक्ति के लिये संगठित करते हैं।"

एक अन्य पाश्चात्य विद्वान वेंद्रे के शब्दों में, "भाषा मनुष्यों के बीच संचार-व्यवहार के माध्यम के रूप में एक प्रतीक व्यवस्था है।"

विशेषताः उपर्युक्त विद्वानों की परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर भाषा की कुछ निश्चित विशेषताएँ चिह्नित होती हैं, जैसे—

(क) भाषा का संबंध मात्र मनुष्य से है।
(ख) भाषा का स्वरूप ध्वन्यात्मक होता है।
(ग) भाषा प्रतीकात्मक (लेखन रूप में) होती है।
(घ) भाषा के सार्थक ध्वनि-संकेतों से मनोभाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति एवं विनिमय होता है।
(ङ) भाषा के ध्वनि-संकेत उच्चारण में वर्णों एवं शब्दों में व्यक्त होते हैं।
(च) भाषा परिवर्तनशील होती है।
(छ) परिवर्तनशील प्रकृति के कारण भाषा सरलता एवं प्रौढ़ता की ओर गतिशील होती है।
(ज) भाषा क्षेत्रीय सीमा से बँधी होती है।
(झ) भाषा का अस्तित्व सांस्कृतिक विकास-पतन से सीधा जुड़ा होता है।

भाषा की प्रकृति

भाषा विशेष के गुण अथवा स्वभाव को उस भाषा की प्रकृति कहते हैं। प्रायः प्रत्येक भाषा के अपने गुण-अवगुण एवं प्रकृति होती है। भाषा की प्रकृति नदी के जल के समान होती है। नदी के जल के प्रवाह के समान ही भाषा भी देश, काल

(ग) कारक के विभक्ति-चिह्नों में भी दोनों के मध्य काफी अंतर है। इस संदर्भ में निम्नलिखित उदाहरणों पर ध्यान दें–

कारक	पश्चिमी हिन्दी (खड़ी बोली)	मानक हिन्दी
कर्त्ता	णै, नै	ने
कर्म	क, नै	को
करण	मू, सै	से
संप्रदान	कू, णे, ने	के लिये
अपादान	सु, सै	से
अधिकरण	उप्पर, पै	में, पर

(घ) सार्वनामिक अंतर- मुज → मुझ, म्हारा → हमारा आदि।

(ङ) क्रिया-विशेषण संबंधी अंतर– इब → अब, इभी → अभी, क्यूँ → क्यों, जाँ → जहाँ, ह्याँ → वहाँ आदि।

(च) स्त्रीलिंग प्रत्यय संबंधी अंतर– पंडतानी → पंडितानी, सुनारण → सुनारिन आदि। (पश्चिमी हिन्दी-प्रत्यय– 'इन', 'अण'; मानक हिन्दी-प्रत्यय–'इन')

इस प्रकार हिन्दी के मानकीकरण में भले ही पश्चिमी हिन्दी की खड़ी बोली को स्रोत या आधार भाषा के रूप में लिया गया हो परंतु मानक हिन्दी इससे नितांत भिन्न होते हुए स्वतंत्र प्रकृति और पहचान बनाने में सफल रही है। मानक हिन्दी हर स्तर और रूप में मेरठी हिन्दी से बहुत आगे निकल गई है। इसने अपनी भाषायी प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुरूप अन्यान्य देशी एवं विदेशी भाषाओं से ग्राह्य सामग्रियों को ग्रहण कर समृद्ध भाषा का मार्ग प्रशस्त किया है, जो न केवल उसके राष्ट्रभाषा के गौरव के अनुकूल है, वरन् विश्व की तृतीय प्रमुख भाषा की प्रसिद्धि के अनुरूप भी है।

लघुउत्तरीय प्रश्न [उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में (एक या दो पंक्तियों में) दीजिये]

1. भाषा का अर्थ स्पष्ट कीजिये।
2. भाषा के प्रमुख मान्य रूप कौन-कौन से हैं?
3. हिन्दी व्याकरण की प्रमुख विशेषताओं को संक्षिप्त रूप में लिखिये।
4. आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा के अनुसार भाषा को परिभाषित कीजिये।

अध्याय
2

हिन्दी भाषा का विकास काल

हिन्दी एक आधुनिक आर्यभाषा है जिसका विकास आर्यों की मूल भाषा संस्कृत से हुआ है। भारतीय तथा बाहरी क्षेत्रों में आर्यभाषाओं का विकास अलग-अलग पद्धति से हुआ है। भारतीय आर्यभाषा के विकास को प्रायः तीन चरणों में विभक्त किया जाता है–

- **प्राचीन आर्यभाषाएँ:** इन भाषाओं के विकास का समय लगभग 2000 ई.पू. से 500 ई.पू. तक माना गया है। इसके अंतर्गत दो स्थितियाँ शामिल हैं–
  - वैदिक संस्कृत (2000 से 1000 ई.पू.) तथा
  - लौकिक संस्कृत (1000 से 500 ई.पू.)
- **मध्यकालीन आर्यभाषाएँ:** इन भाषाओं का विकास काल 500 ई.पू. से 1000 ई. तक स्वीकार किया गया है। इस भाग के अंतर्गत चार चरण मिलते हैं–
  - पालि (500 ई.पू. से ईसवी सन् के आरंभ तक)
  - प्राकृत (ईसवी सन् के आरंभ से 500 ई. तक)
  - अपभ्रंश तथा अवहट्ट (500 ई. से 1100 ई. तक)
- **आधुनिक आर्यभाषाएँ:** इन भाषाओं के विकास का समय लगभग 1100 ई. से अभी तक माना जाता है। इनमें हिन्दी, बांग्ला, उड़िया, असमी, मराठी, गुजराती, पंजाबी तथा सिंधी जैसी भाषाएँ शामिल हैं।

हिन्दी भाषा का विकास क्रम

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हिन्दी एक आधुनिक आर्यभाषा है जिसका विकास मूलतः प्राचीन आर्यभाषा संस्कृत से हुआ है। संस्कृत और हिन्दी के संपर्क सूत्र को स्थापित करने वाली भाषिक स्थितियों को हम मध्यकालीन आर्यभाषाएँ कहते हैं। अतः हिन्दी के विकास का अध्ययन मध्यकालीन आर्यभाषाओं से आरंभ करना उचित प्रतीत होता है।

हिन्दी का उद्भव कब हुआ, इस पर भाषा विज्ञानियों में गंभीर मतभेद हैं। कुछ का दावा है कि अपभ्रंश के विकास से ही हिन्दी का विकास मान लेना चाहिये तो दूसरे छोर पर कुछ अन्य का मत है कि पुरानी हिन्दी के विकास से पहले की स्थितियों को अपभ्रंश और अवहट्ट के रूप में स्वतंत्र माना जाना चाहिये और हिन्दी की शुरुआत पुरानी या प्रारंभिक हिन्दी से मानी जानी चाहिये।

वर्तमान भाषा विज्ञान में सामान्यतः पुरानी हिन्दी से ही हिन्दी की शुरुआत माने जाने का प्रचलन है। इसका अर्थ है कि हिन्दी का आरंभ लगभग 1100 ई. में हो गया था, किंतु, यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि तब से आज तक की विकास यात्रा कई अलग-अलग प्रवृत्तियों पर आधारित है। इस कारण हिन्दी के विकास को भी तीन चरणों में बाँटा जाता है–

- प्राचीन हिन्दी (1100 ई. से 1350 ई. लगभग)
- मध्यकालीन हिन्दी (1350 ई. से 1850 ई. लगभग)
- आधुनिक हिन्दी (1850 ई. से अभी तक)

प्राचीन हिन्दी

प्राचीन हिन्दी, पुरानी हिन्दी तथा आरंभिक हिन्दी शब्द, कुछ विवादों के बावजूद प्रायः समानार्थी शब्दों के रूप में स्वीकार कर लिये गए हैं। इस काल में हिन्दी का कोई निश्चित स्वरूप तो नहीं मिलता, लेकिन हिन्दी की बोलियों के स्वतंत्र विकास की पूर्वपीठिका ज़रूर दिखाई देती है। इस काल में हिन्दी भाषा अपभ्रंश के केंचुल को धीरे-धीरे छोड़कर हिन्दी की बोलियों के रूप में विकसित हो रही थी।

अध्याय
3

देवनागरी : एक दृष्टि में

हिन्दी की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि, वस्तुतः हिन्दी की मौलिक लिपि नहीं होकर भारत की प्राचीन और 'देवभाषा' के रूप में मान्य संस्कृत भाषा की लिपि रही है। अतः संस्कृत की संतान और उत्तराधिकार के रूप में हिन्दी ने अपनी जननी (संस्कृत) की जो अधिसंख्य थाती अपनाई, उनमें एक प्रमुख लिपि देवनागरी भी है। हिन्दी की वर्तमान देवनागरी लिपि सूक्ष्म-से-सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति में पूर्ण रूप से सक्षम है, क्योंकि इसकी वर्णमाला में वर्णों की पर्याप्तता, क्रमिकता एवं एक ध्वनि हेतु एक वर्ण आदि ऐसी अन्यान्य विशेषताएँ हैं, जिनके कारण विश्व की अन्य विकसित एवं समृद्ध भाषाओं की लिपियों के समान इसे वैज्ञानिक लिपि मानने में किसी प्रकार के संशय की कोई गुंजाइश नहीं है।

यद्यपि प्रत्येक भाषा का उद्देश्य एक ही होता है, मगर उसकी अपनी कुछ मौलिक विशेषताएँ या गुण होते हैं। यही बात लिपियों में भी लागू होती है। लिपि की प्रासंगिकता भाषायी अभिव्यक्ति को सरल-से-सरल, पूर्ण एवं स्पष्ट बनानी होती है। इसलिये प्रत्येक लिपि की अपनी कुछ मौलिक विशेषताएँ या गुण होते हैं। हिन्दी की देवनागरी लिपि लिपिगत विशेषता का अपवाद नहीं है।

यदि देवनागरी लिपि को एक नज़र में आँकने की कोशिश की जाए, तो दो प्रमुख तथ्यों पर विशेष रूप से ध्यानाकर्षण करना होगा–

1. देवनागरी की उत्पत्ति या विकास-यात्रा,
2. देवनागरी की वर्णमाला।

देवनागरी की उत्पत्ति या विकास-यात्रा

यह सर्वविदित है कि हिन्दी ने इस लिपि को संस्कृत से ग्रहण किया है। चूँकि संस्कृत इस देश की प्राचीन भाषा रही है और काल की दृष्टि से हज़ारों साल की ऐतिहासिकता से इसकी संबद्धता रही है, अतः संस्कृत से हिन्दी के विकास में हज़ारों साल का काल-क्रम अंतर्निहित है। इस अवधि में अनेक भाषाओं का विकास हुआ, मगर वर्तमान में वे इतिहास के गर्त में समा चुकी हैं जैसे– प्राकृत, पालि आदि। इसका अर्थ यह नहीं है कि भाषायी विवरण में इन विलुप्त भाषाओं की कोई प्रासंगिकता या महत्ता नहीं है। संस्कृत से देवनागरी की यात्रा हिन्दी तक पहुँचने में, वस्तुतः इन भाषाओं की महत्ता निर्विवाद है। इसे सही, स्पष्ट एवं पूर्ण रूप से समझने हेतु सारणीबद्ध प्रस्तुतीकरण ही सर्वोत्तम उपाय है, तो आइये इनका अवलोकन करें।

देवनागरी लिपि की विकास-यात्रा : सारणीबद्ध एक नज़र में

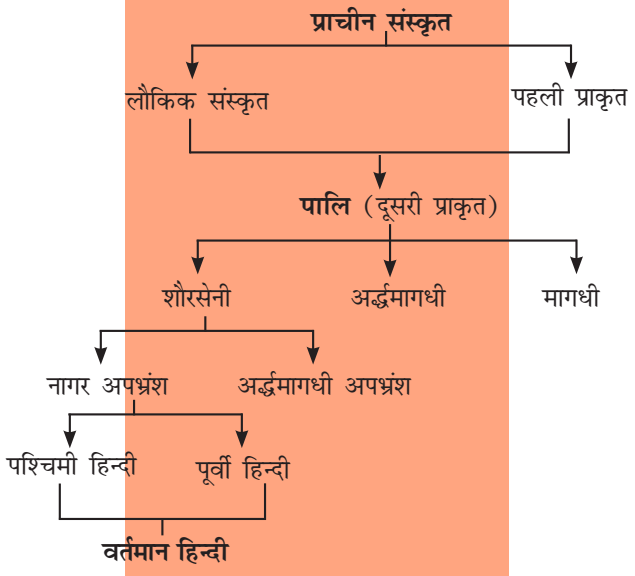

अध्याय
4

वर्ण विचार : वर्णमाला एवं वर्तनी

मानवीय भाव व विचार व्यक्त करने का एकमात्र सशक्त एवं सुस्पष्ट माध्यम भाषा है। भाषा एक वाचिक माध्यम है और इसके अन्य माध्यम हैं– सांकेतिक भाषा व लिखित भाषा। वाचिक का अर्थ वाणी से है और यह वाणी पूर्णत: ध्वनि का व्यवस्थित एवं उद्देश्यपरक रूप होती है। यही ध्वनि 'वर्ण' का प्रारंभिक उद्गारक रूप होती है, जिससे 'शब्द' का निर्माण होता है। इस संदर्भ में एक सर्वमान्य तथ्य के रूप में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि–

(क) 'वर्ण' भाषा की सूक्ष्म इकाई है।

(ख) 'वर्ण' मानवीय वाणिक माध्यम का प्रारंभिक रूप है।

(ग) 'वर्णों' के व्यवस्थित संयोग से 'सार्थक शब्द-निर्माण' होता है।

(घ) सार्थक शब्दों के व्यवस्थित क्रम से वाक्य और वाक्य से भाषा के उद्देश्य-औचित्य पूर्ण होते हैं।

(ङ) इस प्रक्रिया से ही भाषा मानवीय भाव और विचार की अभिव्यक्ति का माध्यम बन पाने में सक्षम होती है।

इस प्रकार, स्पष्ट है कि 'वर्ण' या 'वर्ण-समूह' अथवा 'वर्णमाला' भाषायी उद्देश्य-औचित्य में आधारभूत एवं महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है।

ध्वनि

इसमें दो राय नहीं कि ध्वनि ही भाषा का मूल स्रोत है। लेकिन यहाँ यह भी विचारणीय है कि इस धरा पर समस्त प्राणी इस अनमोल प्राणिक विशेषता से युक्त हैं; जैसे–चूहे की 'चीं-चीं', बिल्ली की 'म्याऊँ-म्याऊँ' अथवा कुत्ते की 'भौं-भौं' आदि के समान ही अन्य सभी जीवों की भी ध्वनियाँ होती हैं। इतना ही नहीं, निर्जीव वस्तुओं की भी ध्वनियाँ होती हैं; जैसे–हवा के वेग से 'साँय-साँय', पानी के वेग से 'कल-कल' या फिर पदार्थों के कंपन से उत्पन्न ध्वनि। इस संबंध में प्रमुख बात यह है कि जब 'भाषा' शब्द का ज़िक्र होता है, तो इसका एकमात्र आशय 'मानवीय भाषा' से ही होता है, अन्य किसी जीव से नहीं, भले ही वे विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ व्यक्त करते हों।

यह निर्विवाद तथ्य है कि भाषा की मूलावस्था या मूल स्रोत मानवीय ध्वनियाँ हैं, क्योंकि ध्वनियों से वर्ण, वर्णों से शब्द-निर्माण एवं इन शब्दों के व्यवस्थित संयोग से जो मानवीय भाव व विचार प्रकट होते हैं, वही भाषा है। आशय यह है कि भाषायी संदर्भ में मनुष्य के मुख से उच्चरित या निकली ध्वनियाँ ही सारगर्भित या प्रासंगिक होती हैं। लेकिन यह मान लेना कि सभी मानवीय ध्वनियाँ सार्थक ही होती हैं और वे भाषा में योगदान देती हैं, गलत होगा। वास्तविकता यह है कि चेतन या अचेतन अवस्था में मनुष्य द्वारा व्यक्त सभी ध्वनियाँ सार्थक नहीं होतीं और भाषा में ऐसी निरर्थक ध्वनियों की कोई महत्ता या उपयोगिता नहीं होती। मनुष्य की ऐसी निरर्थक ध्वनियों का संक्षिप्त उल्लेख क्रमिक रूप में निम्नवत् है–

(क) मनुष्य की क्रिया या क्रिया-कलाप विशेष से उत्पन्न ध्वनियाँ, जैसे–चलने-दौड़ने या व्यायाम करने की ध्वनि।

(ख) निद्रावस्था में 'खर्राटे की ध्वनि' या फिर 'जम्हाई लेने की ध्वनि'।

(ग) कष्ट या पीड़ा से 'कराहने' या 'चिल्लाने' की ध्वनि।

(घ) मनोरंजन के रूप में 'सीटी बजाने' की ध्वनि, या

हिन्दी भाषा की ध्वनि व्यवस्था

हिन्दी भाषा में कुल 59 ध्वनियाँ स्वीकार की गई हैं। इस दृष्टि से हिन्दी दुनिया की सर्वाधिक समृद्ध भाषाओं में से एक है। विश्व की सभी भाषाओं में प्रचलित प्राय: सभी ध्वनियाँ इसमें विद्यमान हैं।

अध्याय
5

उपसर्ग और प्रत्यय

हिन्दी में शब्द-निर्माण एवं अर्थ की विशिष्टता प्रदान करने में उपसर्ग की अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। उपसर्ग प्रायः एक या दो अक्षरों के होते हैं। इन्हें शब्दांश या अव्यय भी कहा जाता है। ये शब्द के आगे (प्रारंभ में) लगकर मूलशब्द से भिन्न एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। इस प्रकार उपसर्ग ऐसे शब्दांश या अव्यय को कहते हैं, जो शब्द के प्रारंभ में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं या परिवर्तन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो हिन्दी शब्द-निर्माण के महत्त्वपूर्ण स्रोत का एक सशक्त साधन प्रत्यय है, जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण कर न केवल अर्थ-क्षेत्र को व्यापक बनाता है, वरन् शब्द-भंडार को भी समृद्ध करता है।

5.1 उपसर्ग

उपसर्ग में दो शब्द हैं– उप + सर्ग। 'उप' का अर्थ समीप, पास या निकट होता है, जबकि 'सर्ग' से आशय सृष्टि करने से है। इस प्रकार उपसर्ग का शब्दिक अर्थ होता है– पास या निकट बैठकर नव अर्थयुक्त शब्द-निर्माण या फिर अर्थ में विशिष्टता उत्पन्न करना।

उपसर्ग से संबंधित प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

- उपसर्ग की प्रयुक्तता से अर्थ में नई विशेषता आती है, जैसे– मूल्य-अमूल्य-बहुमूल्य।
- उपसर्ग लगाने से नवनिर्मित शब्द प्रायः मूलशब्द का विलोम बन जाता है, जैसे– शुभ-अशुभ, न्याय-अन्याय, डर-निडर।

उपसर्ग के प्रकार

चूँकि हिन्दी का जन्म या विकास संस्कृत से हुआ है, अतः इसके प्रमुख उपसर्ग संस्कृत के ही हैं। हालाँकि विकास के काल-क्रम में हिन्दी ने अपने उपसर्ग भी विकसित किये हैं। फिर मुगल साम्राज्य और अंग्रेज़ी शासनकाल की सदियों की अवधि में इनकी भाषाएँ अरबी-फारसी तथा अंग्रेज़ी ने हिन्दी पर जबर्दस्त प्रभाव डाला और परिणाम के रूप में इन भाषाओं के प्रचलित प्रमुख उपसर्गों को हिन्दी ने यथावत् अथवा कुछ रूप-परिवर्तन कर अधिग्रहण कर लिया। इस प्रकार वर्तमान में हिन्दी में प्रमुख रूप से तीन प्रकार के प्रचलित उपसर्ग सर्वमान्य हैं–

1. **संस्कृत के उपसर्ग**
2. **हिन्दी के उपसर्ग**
3. **उर्दू के उपसर्ग**

1. संस्कृत के उपसर्ग

हिन्दी ने संस्कृत के जिन प्रमुख उपसर्गों को ग्रहण किया है, उनके नाम, अर्थ एवं उनसे निर्मित शब्द सरलबोध हेतु सारणी के रूप में प्रस्तुत हैं–

उपसर्ग	अर्थ	उपसर्ग से निर्मित शब्द
अति	अधिक, ऊपर, उस पार	अतिकाल, अतिक्रमण, अतिरिक्त, अतिशय, अतिव्यापी, अत्यंत, अत्युक्ति, अत्याचार, अतिक्लांत, अत्युत्तम इत्यादि।
अधि	श्रेष्ठ, ऊपर, निकटता	अधिकरण, अधिकार, अधिकोष, अधिपति, अधिपाठक, अधिराज, अधिवासी, अधिष्ठाता, अध्यक्ष, अध्यात्म, अध्यादेश इत्यादि।
अनु	क्रम, पीछे, पश्चात्, समान	अनुकरण, अनुकूल, अनुक्रम, अनुचर, अनुज, अनुपात, अनुरूप, अनुरक्षण, अनुशासन, अनुशीलन, अनुस्वार इत्यादि।

अध्याय
6

हिन्दी शब्द-भंडार
(तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज एवं संकर शब्द)

विश्व की समृद्ध भाषाओं की श्रेणी में हिन्दी भाषा का महत्त्वपूर्ण स्थान है। विश्व भाषा के रूप में मान्य अंग्रेज़ी भाषा सहित विश्व की अन्य प्रमुख भाषाओं– फ्रेंच, यूनानी, स्पेनिश, रशियन, जर्मन, चीनी, जापानी इत्यादि ने अपने-अपने मूल शब्दों के अलावा अन्य भाषाओं के अधिकाधिक शब्दों का रूप-परिवर्तन कर अपनी-अपनी भाषा के शब्द-भंडार को वृहद् एवं विस्तृत किया है। इस संदर्भ में हिन्दी भाषा भी कोई अपवाद नहीं है। इसमें भी अन्य भाषाओं के अधिकाधिक शब्दों को या तो यथावत् या फिर उनमें थोड़ा-बहुत परिवर्तन करके शब्द-भंडार को समृद्ध किया गया है।

- संस्कृत हिन्दी भाषा की जननी है। इसका शब्द-भंडार संस्कृत के मूल शब्द (तत्सम) और उसके परिवर्तित रूप (तद्भव) के शब्दों से भरा हुआ है।
- उत्पत्ति के आधार पर शब्द-भंडार (शब्द-भेद) के अंतर्गत शब्द के पाँच प्रकारों को सम्मिलित किया गया है–

शब्द-भंडार के प्रकार

तत्सम | तद्भव | देशज | विदेशज | संकर

तत्सम

तत्सम = तत् + सम = उसके समान, यहाँ 'उसके' से आशय 'संस्कृत' से है। इस प्रकार तत्सम शब्द संस्कृत शब्द या उनके समान शब्द हैं और हिन्दी में इनका प्रयोग संस्कृत के समान ही होता है। ऐसे तत्सम शब्दों के कुछ उदाहरण हैं– **अग्नि, अंक, स्कंध, अश्रु, आम्र, अष्ट** इत्यादि। यदि संक्षिप्त रूप में कहें तो जो शब्द संस्कृत से उनके मूल रूप में लिये गए हैं और हिन्दी में इसी मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं, वे तत्सम शब्द हैं।

तद्भव

तद्भव = तत् + भव = उससे उत्पन्न; यहाँ 'उससे' का आशय संस्कृत से है। इस प्रकार ऐसे शब्द जो प्राकृत और संस्कृत से विकृत होकर हिन्दी में आए हैं, 'तद्भव' कहे जाते हैं, यथा–**अच्छर, कड़ुआ, काठ, घिन, चाम, जोगी** इत्यादि।

देशज

देशज शब्द से आशय देश में बोली जाने वाली बोलियों के उन शब्दों से है, जो हिन्दी भाषा के विकास के काल-क्रम में उसके गर्भगृह (शब्द-भंडार) में समाहित हो गए। वस्तुत: ये वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता। प्रचलन में ये शब्द प्रचुरता से प्रयोग में लाए जाते हैं। ऐसे शब्दों के कुछ उदाहरण हैं– **अक्खड़, अंट-शंट, ऊटपटाँग, किलबिलाना, गुदड़ी, झक्की, हेकड़ी, अचकचाना, अल्लम-गल्लम, ओझल, अचानक, अटपटा, इठलाना, ओढ़र, अलबेला, उमंग, कनकना, कचारना, कटकना, कदली, किचर-पिचर, कनटक, कौंधना, काच, कचोटना, कीनर-मीनर, कराहना, खूसट, खोखला, खर्रा, खद्दर, खुरदरा, खटना, खूँटी, खर्राटा, खटपट, खचाखच, गिड़गिड़ाना, गल्प, गुद्दा, गली, गिरगिट, गरेरी, गेंदा, गुपचुप, गोंद, घेंघा, घमंड, घोंसला, घुमड़ना** इत्यादि।

विदेशज

विदेशी भाषाओं से हिन्दी भाषा में आए शब्दों को 'विदेशज शब्द' कहा जाता है। भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में इन विदेशी भाषाओं का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है, मसलन– यूरोपीय देशों की भाषाएँ– अंग्रेज़ी, पुर्तगाली, फ्रेंच आदि और अरब देशों की भाषाएँ– अरबी, फारसी, तुर्की आदि।

अध्याय
7

पल्लवन, लक्ष्य भाषा, स्रोत भाषा

इस अध्याय के अंतर्गत मध्य प्रदेश सिविल (राज्य) सेवा की विगत वर्षों में आयोजित परीक्षाओं में सामान्य हिन्दी, मुख्य परीक्षा के प्रश्नपत्र में पूछे गए प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए तथा उसकी प्रकृति को समझते हुए आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों से संबंधित महत्त्वपूर्ण परीक्षोपयोगी जानकारियों को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है जिसमें पल्लवन, लक्ष्य भाषा तथा स्रोत भाषा आदि को ध्यान में रखते हुए इससे संबंधित परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण जानकारियों को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है, जिससे आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देने में समस्या न हो।

7.1 पल्लवन

पल्लवन का शाब्दिक अर्थ है- किसी विषय या विचार का विस्तार। इसके अंतर्गत भाव या विचार का अर्थ स्पष्ट किया जाता है। लेखन की इस क्रिया को हिन्दी में 'पल्लवन' कहते हैं तथा वृद्धीकरण, विशदीकरण, संवर्द्धन, भाव-विस्तार आदि पल्लवन के अन्यान्य नाम हैं।

जब किसी विचार को कम-से-कम शब्दों में प्रकट किया जाता है या उसे सूक्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके अर्थ को ग्रहण करने में कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में इस बात की आवश्यकता होती है कि उन पंक्तियों को व्याख्यायित किया जाए, ताकि उन्हें सरलता से समझा जा सके।

पल्लवन के अंतर्गत इसी उद्देश्य की पूर्ति की जाती है। अत: पल्लवन को इन शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है, "किसी सुगठित एवं गुंफित विचार या भाव के विचार को पल्लवन कहते हैं।"

पल्लवन की आवश्यकता

- क्योंकि कम-से-कम शब्दों में लिखे गए विचारों तथा भावों में इतनी स्पष्टता नहीं रहती है, जिसे सभी आसानी से समझ सकें।
- क्योंकि एक गंभीर लेखक 'गागर में सागर' भरते हुए न्यूनतम शब्दों में अधिकतम बातों को लिखने का प्रयास करता है, जिसे आसानी से बिना स्पष्टता के नहीं समझा जा सकता।
- क्योंकि हिन्दी में ऐसी हज़ारों सूक्तियाँ और कहावतें प्रचलित हैं जिनका अर्थ स्पष्ट करने हेतु उनका अर्थ-विस्तार करना आवश्यक होता है।
- क्योंकि अर्थ-विस्तार करते समय मूल वाक्य में आए विचारसूत्रों का उपयुक्त (सही) अर्थ पकड़ने का प्रयास किया जा सके।

पल्लवन की प्रमुख विशेषताएँ

- पल्लवन, भाव या विचार का विस्तार है लेकिन यह व्याख्या तथा भावार्थ से भिन्न है।
- पल्लवन, व्याख्या तथा भावार्थ में तात्त्विक अंतर होता है।
- पल्लवन में निहित भाव का विस्तार होता है।
- पल्लवन में प्रसंग-निर्देश के साथ आलोचना तथा टीका-टिप्पणी करने की छूट नहीं है, जिस प्रकार की छूट 'व्याख्या' करने में होती है।
- पल्लवन में मूलभाव को स्पष्ट करने के लिये भाव-विस्तार संबंधी कोई सीमा नहीं होती, जिस प्रकार की सीमा भावार्थ में मूलभाव को स्पष्ट करने के संबंध में होती है।
- पल्लवन के द्वारा 'मूल' तथा 'गौण' दोनों प्रकार के निहित भावों को प्रकट किया जाता है।

अध्याय
8

हिन्दी की उपभाषाएँ व बोलियाँ

भाषा-वैज्ञानिकों ने भाषा और बोली के बीच एक और वर्ग को स्वीकार्य किया है जिसे उपभाषा कहते हैं। जिस प्रकार भाषा का संबंध बोलने व लिखने से है, जबकि बोली का संबंध बोलने से है, उसी प्रकार उपभाषा का संबंध न बोलने से है और न लिखने से। सामान्य रूप से कहें तो यह एक ऐसा वर्ग है जिसका विश्लेषण तो हो सकता है, पर प्रयोग नहीं हो सकता। एक भाषा की बहुत सी बोलियाँ होती हैं तथा उन बोलियों के बीच अलग-अलग मात्रा में निकटता और दूरी दिखलाई देती है।

हिन्दी की बोलियों के आधार पर विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि राजस्थान तथा दिल्ली की बोलियों में जितनी निकटता होगी, उनती राजस्थान और बिहार की बोलियों में नहीं हो सकती। इसी प्रकार बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोलियों में जो निकटता होगी, वह बिहार और छत्तीसगढ़ की बोलियों में नहीं हो सकती। इसका सामान्य अर्थ यह हुआ कि निकटवर्ती बोलियाँ परस्पर गहराई से जुड़ी होती हैं, जबकि दूर की बोलियों में उतना आंतरिक तारतम्य नहीं होता। उपभाषा सामान्य रूप से बोलियों के उस वर्ग को कहते हैं जिनमें समान ऐतिहासिक विरासत के कारण गहरे संबंध होते हैं तथा जिनकी भाषिक प्रवृत्तियाँ प्रायः एक सी होती हैं।

उपभाषा काल्पनिक वर्ग नहीं है जिसे मात्र बोलियों की परस्पर समानता के आधार पर निर्मित किया गया हो। बोलियों के निकट संबंध वस्तुतः समान ऐतिहासिक उद्भव पर आधारित होते हैं। हिन्दी की उपभाषाओं की चर्चा करें तो हम पाते हैं कि पाँच प्रकार की प्राकृतों से पहले उपभ्रंशों तथा बाद में हिन्दी की उपभाषाओं का विकास हुआ है। विकास की यह प्रक्रिया इस प्रकार है-

- राजस्थानी प्राकृत → अपभ्रंश → राजस्थानी हिन्दी (उपभाषा)
- शौरसेनी प्राकृत → शौरसेनी अपभ्रंश → पश्चिमी हिन्दी (उपभाषा)
  → नागर रूप से- राजस्थानी, गुजराती
- अर्द्धमागधी प्राकृत → अर्द्धमागधी अपभ्रंश → पूर्वी हिन्दी (उपभाषा)
- मागधी प्राकृत → मागधी अपभ्रंश → बिहारी हिन्दी (उपभाषा)
- खस प्राकृत → खस अपभ्रंश → पहाड़ी हिन्दी (उपभाषा)

यद्यपि इस विकास प्रक्रिया के संबंध में भाषा-वैज्ञानिकों में अत्यधिक विवाद है, किंतु सामान्य रूप से यह वर्गीकरण स्वीकार किया जाता है।

हिन्दी की उपभाषाएँ तथा बोलियाँ

हिन्दी भाषा का वर्गीकरण पाँचों उपभाषाओं में किया जाता है- राजस्थानी हिन्दी, बिहारी हिन्दी, पहाड़ी हिन्दी, पश्चिमी हिन्दी तथा पूर्वी हिन्दी। इन पाँचों उपभाषाओं तथा इनसे संबंधित बोलियों को एक आरेख के माध्यम से समझा जा सकता है।

हिन्दी भाषा की उपभाषाएँ

1. राजस्थानी हिन्दी
(क) मारवाड़ी
(ख) मालवी
(ग) मेवाती
(घ) जयपुरी/ढूंढाणी

2. बिहारी हिन्दी
(क) भोजपुरी
(ख) मगही
(ग) मैथिली

3. पहाड़ी हिन्दी
(क) कुमाउँनी
(ख) गढ़वाली

4. पूर्वी हिन्दी
(क) अवधी
(ख) बघेली
(ग) छत्तीसगढ़ी

5. पश्चिमी हिन्दी
(क) ब्रजभाषा
(ख) कौरवी/खड़ी बोली
(ग) हरियाणवी
(घ) कन्नौजी
(ङ) बुंदेली
(च) दक्खिनी

अध्याय
9

हिन्दी वर्णमाला में विराम चिह्न

विराम शब्द का अर्थ 'ठहरना' या 'रुकना' होता है। विराम चिह्नों का प्रयोग लेखन कार्य में उसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार से हम किसी कार्य को करते समय बीच-बीच में रुकते हैं। इन चिह्नों के प्रयोग करने का मूल उद्देश्य यह होता है कि लेखन कार्य में भावों एवं विचारों का सही प्रारूप में प्रस्तुतीकरण किया जा सके, जिससे पाठक को उस लेख का सही भाव समझ आ सके।

विराम चिह्नों के प्रकार

हिन्दी भाषा में प्रयुक्त होने वाले महत्त्वपूर्ण विराम चिह्न निम्नलिखित हैं–

विराम चिह्न		
● अल्प विराम चिह्न (Comma)	→	,
● अर्द्ध विराम चिह्न (Semi Colon)	→	;
● विस्मय विराम/विस्मय बोधक (Note of Exclamation)	→	!
● पूर्ण विराम (Full Stop)	→	।
● प्रश्न विराम/प्रश्नवाचक चिह्न (Note of Interrogation)	→	?
● निर्देशक/रेखिका चिह्न (Dash)	→	–
● योजक चिह्न (Hyphen)	→	-
● उप विराम (अपूर्ण विराम) चिह्न	→	:
● लोप विराम/वर्जन चिह्न	→	.. .. ..
● अवतरण विराम/उद्धरण चिह्न	→	‘’, “ ”
● कोष्ठक (Brackets) चिह्न	→	( ), { }, [ ]
● तुल्यतासूचक चिह्न	→	=
● लाघव विराम/संक्षेपसूचक चिह्न	→	°
● समाप्तिसूचक	→	- - - -o - - - -
● हंसपद या त्रुटिबोधक चिह्न	→	^
● विवरण चिह्न	→	:–

अध्याय
10

हिन्दी व्याकरण के महत्त्वपूर्ण कारक

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा हेतु निर्धारित पाठयक्रम से संबंधित सामान्य हिन्दी के हिन्दी व्यापकरण के महत्त्वपूर्ण कारक संबंधी अध्याय के अंतर्गत- संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, क्रिया एवं उनके प्रकार, काल एवं उनके प्रकार, क्रिया-विशेषण एवं विशेषण आदि को स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया गया है।

10.1 संज्ञा

परिभाषा

जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जीव या भाव आदि के नाम का बोध हो, उस विकारी शब्द को संज्ञा कहा जाता है।

डॉ. भोलानाथ तिवारी के अनुसार, "किसी प्राणी, चीज़, गुण, काम या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं।"

उदाहरण- सुमन, राम, श्याम, गंगा, कनाडा इत्यादि।

संज्ञा के भेद

संज्ञा के कुल पाँच प्रमुख भेद माने गए हैं-

संज्ञा के भेद

- **व्यक्तिवाचक संज्ञा**
- **जातिवाचक संज्ञा**
- **भाववाचक संज्ञा**
- **समूहवाचक संज्ञा**
- **द्रव्यवाचक संज्ञा**

1. व्यक्तिवाचक संज्ञा

किसी एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं; जैसे–राम, गंगा, भारत, दिल्ली आदि।

(i) **व्यक्तियों के नाम**–राम, मुकेश, मोहन, सीता इत्यादि।
(ii) **दिशाओं के नाम**–पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इत्यादि।
(iii) **देशों के नाम**–भारत, अमेरिका, कनाडा इत्यादि।
(iv) **शहरों के नाम**–दिल्ली, पटना, इलाहाबाद इत्यादि।
(v) **समुद्रों के नाम**–काला सागर, भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर इत्यादि।
(vi) **नदियों के नाम**–गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी इत्यादि।

2. जातिवाचक संज्ञा

जिन शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों की पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं; जैसे–मनुष्य, घर, नदी, देश इत्यादि।

जातिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण निम्नलिखित हैं:

मनुष्य–पुरुष, स्त्री, लड़का, लड़की, भाई, चाचा इत्यादि।

पशु-पक्षी–गाय, बकरी, शेर, मोर, तोता इत्यादि।

वस्तुओं के नाम-मेज़, कुर्सी, किताब इत्यादि।

पदों या व्यवसायों के नाम–शिक्षक, लेखक, पत्रकार इत्यादि।

अध्याय
11

संधि एवं समास

संधि शब्द का अर्थ 'मेल' से है। दो निकटवर्ती या समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार (परिवर्तन) होता है, वह 'संधि' कहलाता है। वहीं संधि के नियमानुसार मिले वर्णों को पुनः मूल अवस्था में ले जाने की क्रिया को संधि-विच्छेद कहते हैं। वहीं दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास का प्रयोग कम-से-कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करने में किया जाता है।

11.1 संधि

संधि के पहले वर्ण के अनुसार इसके तीन भेद किये जाते हैं, जो निम्नलिखित हैं-

- स्वर संधि
- व्यंजन संधि
- विसर्ग संधि

स्वर संधि

दो स्वरों के मेल से जो विकार (परिवर्तन) उत्पन्न होता है, वह **स्वर संधि** कहलाता है।

उदाहरणः (i) विद्या + आलय = विद्यालय, (ii) महा + आत्मा = महात्मा

स्वर संधि के पाँच भेद (प्रकार) होते हैं, जो निम्नलिखित हैं-

स्वर संधि के भेद

- दीर्घ संधि
- गुण संधि
- वृद्धि संधि
- यण संधि
- अयादि संधि

दीर्घ संधि

इस प्रकार की संधि में जिस स्थान पर अ/आ के पश्चात् अ/आ, उ/ऊ के पश्चात् उ/ऊ एवं इ/ई के पश्चात् इ/ई आए तो ये दोनों शब्द मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं, **जैसे**-

अ + अ = आ	अ + आ = आ
• गीत + अंजलि = गीतांजलि • स्व + अर्थी = स्वार्थी • मत + अनुसार = मतानुसार • परम + अर्थ = परमार्थ • प्र + अंगन = प्रांगण	• आम + आशय = आमाशय • आर्य + आवर्त्त = आर्यावर्त्त • गर्भ + आशय = गर्भाशय • भ्रष्ट + आचार = भ्रष्टाचार • हास्य + आस्पद = हास्यास्पद
आ + अ = आ	**आ + आ = आ**
• निशा + अंत = निशांत • सत्ता + अंतरण = सत्तांतरण • परीक्षा + अर्थी = परीक्षार्थी • रचना + अवली = रचनावली • दिशा + अंतर = दिशांतर • सुधा + अंशु = सुधांशु	• महा + आशय = महाशय • वार्ता + आलाप = वार्तालाप • प्रेरणा + आस्पद = प्रेरणास्पद • महा + आत्मा = महात्मा • प्रेक्षा + आगार = प्रेक्षागार

अध्याय
12

विलोम शब्द

सामान्य अर्थों में किसी शब्द के विपरीत या उल्टे अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को **विलोम** या **विपरीतार्थक शब्द** कहते हैं। विलोम शब्द सजातीय शब्द होते हैं, जैसे– संज्ञा का विलोम संज्ञा, क्रिया का विलोम क्रिया, विशेषण का विलोम विशेषण होता है।

सामान्यतया अ, अप, अन्, निस, निर, वि, प्रति, दुस्, कु आदि उपसर्गों के प्रयोग से विपरीतार्थक शब्दों का निर्माण होता है। इसके अलावा स्वतंत्र रूप से भी विपरीतार्थक शब्दों का निर्माण किया जाता है, जैसे- लाभ का विलोम हानि। अगर 'लाभ' का विलोम 'अलाभ' लिया जाए तो इससे भाषा की सुंदरता प्रभावित होगी, जबकि 'अलाभ' शब्द 'लाभ' का विपरीतार्थक शब्द है। अत: उपसर्गों तथा स्वतंत्र अर्थ वाले शब्दों के द्वारा प्रचलित सुंदरतम भाषा-स्थिति के साथ विलोम का चयन किया जाता है।

विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए विलोम शब्द

शब्द	विलोम	शब्द	विलोम	शब्द	विलोम	शब्द	विलोम
प्रतिकूल	अनुकूल	उपमेय	अनुपमेय	विवेकी	अविवेकी	श्रोता	वक्ता
अध्यवसाय	अनध्यवसाय	सुलभ	दुर्लभ	सृष्टि	प्रलय	न्यून	अधिक
बर्बर	सभ्य	दीर्घायु	अल्पायु	स्वजाति	विजाति	धृष्ट	विनम्र, विनीत
ध्वंस	निर्माण	तृष्णा	वितृष्णा, तृप्ति	चुस्त	ढीला	स्थिर	अस्थिर
अनिवार्य	ऐच्छिक	अल्पज्ञ	बहुज्ञ	सुमति	कुमति	विभव	पराभव
यथार्थ	कल्पित, काल्पनिक	भूगोल	खगोल	अभिशाप	वरदान	जारज	औरस
चिरंतन	नश्वर	सहयोगी	विरोधी	उपादेय	अनुपादेय	मसृण	रुक्ष
नैसर्गिक	कृत्रिम	जोड़	घटाव	अधोगामी	ऊर्ध्वगामी	स्वर्ग	नरक
नर	नारी	पोषक	शोषक	विराट्	क्षुद्र/सूक्ष्म	इहलौकिक	पारलौकिक
विनीत	उद्धत	विधि	निषेध	संधि	विग्रह	संन्यास	गृहस्थ
आविर्भाव	तिरोभाव	कर्मण्य	अकर्मण्य	महात्मा	दुरात्मा	अति	अल्प
तरुण	वृद्ध	मंडन	खंडन	आगामी	विगत	ग्रहण	अर्पण
ह्रस्व	दीर्घ	स्थावर	जंगम	प्रधान	गौण	सरल	कठिन
शुष्क	आर्द्र, सिक्त	अनंत	अंत	विशेष	सामान्य	प्राचीन	अर्वाचीन, नवीन
संपन्न	विपन्न	थोक	फुटकर	समस्या	समाधान	यश	अपयश
उपेक्षा	अपेक्षा	पुरस्कार	दंड	अंतर्द्वंद्व	बहिर्द्वंद्व	संश्लेषण	विश्लेषण
गणतंत्र	राजतंत्र	कीर्ति	अपकीर्ति	अलभ्य	लभ्य	भाव	अभाव
परतंत्र	स्वतंत्र	असीम	ससीम	अपव्यय	मितव्यय	दु:खी	सुखी
साहचर्य	अलगाव	भिज्ञ/अभिज्ञ	अनभिज्ञ	उत्कृष्ट	निकृष्ट	दानव	मानव
स्पृश्य	अस्पृश्य	पुष्ट	क्षीण	ग्रामीण	शहरी	आदान	प्रदान
आवेशित	अनावेशित	गौरव	लाघव	निर्दय	सदय	अगम	सुगम
अर्जन	व्ययन	समास	व्यास	अवनत	उन्नत	शुक्ल	कृष्ण

अध्याय
13

पर्यायवाची शब्द

समान अर्थ वाले शब्द 'पर्यायवाची' शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के अधिकांश शब्दों को आत्मसात् करने के कारण हिन्दी में पर्यायवाची शब्दों की बहुलता है। पर्यायवाची शब्दों का वाक्य प्रयोग के अनुसार ही उचित निरूपण होता है।

विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए पर्यायवाची शब्द

शब्द	पर्यायवाची	शब्द	पर्यायवाची
आम	सहकार, रसाल, आम्र, अंब, अमृतफल, पिकबंधु, अतिसौरभ	प्रशंसा	स्तुति, तारीफ, बड़ाई, सराहना
अग्नि	आग, अनल, पावक, धूम्रकेतु, धनंजय, हुताशन, कृशानु, रोहिताश्व, वैश्वानर, वह्नि	तरंग	उर्मि, लहर, वीचि, हिलोर,
पत्थर	प्रस्तर, पाहन, उपल, अश्म, संग, पाषाण	जंगल	कांतार, विपिन, अरण्य, कानन, दाव, अटवी, वन
यमुना	सूर्यजा, अर्कजा, रविजा, कालिंदी, रवितनया, कृष्णा, हंससुता, भानुतनया	किनारा	सिरा, छोर, तीर, तट
समुद्र	जलधि, उदधि, पारावार, नदीश, पयोनिधि, जलधाम, अब्धि, जलनिधि	भिक्षुक	मधुकर, याचक, भिखारी, भिखमंगा
नदी	निम्नगा, अपगा, कूलवती, तरंगिनी, सिंधुगामिनी, तटिनी, सरिता, निम्ना, स्रोतस्विनी	हाथी	गज, कुंजर, करी, दंती, हस्ति, वितुंड, द्विरद, गयंद, कुंभी, मतंग, सिंधुर, नाग
स्वर्ण	हेम, हाटक, हिरण्य, जोतक, पुष्कल, रुक्म, जातरूप	कामदेव	मदन, अनंग, पंचशर, रतिनाथ, कामग, मकरध्वज, मनोभव, मनोज, कंदर्प, मार, स्मर, पुष्पधन्वा, मन्मथ, कुसुमशर, अतनु
इंद्र	शचीपति, मधवा, शक, सहस्राक्ष, सुरेंद्र, कौशिक, अमरपति, वासव, पुरंदर	जीभ	रसना, जिह्वा, रसज्ञा, रसिका, चंचला
मनीषी	ज्ञानी, विचारक, चिंतक, विद्वान	नैसर्गिक	प्राकृतिक, स्वाभाविक, वास्तविक
घर	निकेतन, निलय, आयतन, अयन, गेह, गृह	हाथ	हस्त, कर, पाणि, भुजा, बाहु
मछली	झष, शफरी, मीन, मत्स्य,मकर	चांदनी	चंद्रातप, ज्योत्स्ना, कौमुदी, चंद्रकला, चंद्रिका, अमृत-तरंगिणी, चंद्रमरीची
कपड़ा	पट, अंबर, वस्त्र, वसन, परिधान, चीर, दुकूल	सरस्वती	महाश्वेता, वागीशा, भारती, वीणापाणि, इला, कर्णिका, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, वागेश्वरी, शारदा
तालाब	सर, पुष्कर, सरोवर, सरसी, ताल, तड़ाग, पद्माकर, कासार, ह्रद	लक्ष्मी	पद्मा, रमा, भार्गवी, सिंधुजा, हरिप्रिया, इंदिरा
प्रभात	प्रातः, सवेरा, उषा, अरुणोदय	विष्णु	जनार्दन, विश्वंभर, केशव, गोविंद, नारायण, अच्युत, चक्रपाणि, मुकुंद, गरुड़ध्वज, चतुर्भुज, जलाशायी, कमलेश, कमलापति, कमलाकांत
दर्पण	शीशा, आईना, प्रतिबिंबक, प्रतिमान	बगीचा	आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, निकुंज, फुलवारी

अध्याय
14

समानार्थक/समानार्थी शब्द

समानार्थक शब्द उन शब्दों को कहा जाता है, जिनके अर्थ समान या एक हों। समानार्थक शब्दों के अर्थ की समानता के कारण ही इन्हें एकार्थी शब्द, प्रतिशब्द, पर्यायवाची शब्द तथा समानार्थी शब्द आदि भी कहा जाता है।

- हिन्दी की उत्पत्ति तथा रूपरेखा संपूर्ण रूप से संस्कृत पर ही आधारित है तथा समानार्थक शब्दों की श्रेणी में सम्मिलित अधिसंख्य शब्द संस्कृत के मूलशब्द या तत्सम हैं।
- वर्तमान समय में हिन्दी के समानार्थक शब्द-भंडार में तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशज शब्द शामिल हैं।

यद्यपि समानार्थक शब्दों के अर्थ समान होते हैं, लेकिन यह मानना पूर्णतः मूर्खता होगी कि एक वाक्य में प्रयुक्त किसी शब्द के स्थान पर अन्य समानार्थक शब्द के प्रयोग करने पर उसके अर्थ में अशुद्धि नहीं होगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि समानार्थी शब्द होने के बावजूद किसी वाक्य में इनके प्रयोग की विधि सदैव सही नहीं होती क्योंकि इनका महत्त्व विषय और स्थान के अनुसार होता है, सिवाय कुछ अपवाद को छोड़कर। इस तथ्य को इस उदाहरण से अच्छी तरह समझा जा सकता है, जैसे- 'भिखारी मुँह लटकाए बैठा है।' इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द 'लटकाए' (मूल शब्द लटकना) का समानार्थक शब्द है- 'टाँगे' (मूल शब्द टाँगना)। अब यदि इस वाक्य में 'लटकाए' के स्थान पर 'टाँगे' शब्द का प्रयोग करें, तो वाक्य होगा- 'भिखारी मुँह टाँगे बैठा है।' इस प्रकार यह वाक्य पहले वाले वाक्य के समान, स्पष्ट, सटीक तथा सार्थक न होकर बिल्कुल अस्पष्ट, अशुद्ध एवं अटपटा है। अतः यह विशेष रूप से स्मरणीय होना चाहिये कि समानार्थक शब्दों को आँख बंद कर प्रयोग करने के बजाय विषय एवं स्थान को ध्यान में रखकर ही प्रयोग किया जाए।

समानार्थक शब्दों के प्रकार

समानार्थक शब्द-प्रयोग में भिन्नता के कारण ही इसे तीन प्रकारों में विभेदित किया गया है, ताकि इन शब्दों का सही प्रयोग हो सके।

समानार्थक शब्दों के प्रकार

- पूर्ण समानार्थक शब्द
- पूर्ण-अपूर्ण समानार्थक शब्द
- अपूर्ण समानार्थक शब्द

पूर्ण समानार्थक शब्द

पूर्ण समानार्थक शब्द से तात्पर्य वैसे समानार्थक शब्दों से है जिनका प्रयोग वाक्य में किसी शब्द के स्थान पर उसका समानार्थक शब्द प्रयोग किया जाए तो अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता तथा वाक्य में अशुद्धि भी नहीं होती है, जैसे- भगवान, परमेश्वर, ईश्वर, परमात्मा आदि। इसी प्रकार जल, पानी, कष्ट, तकलीफ आदि अन्य उदाहरण हैं। इन सभी शब्दों के स्थान पर उनका समानार्थक शब्द प्रयोग करने पर अर्थ में कोई अंतर नहीं होता।

पूर्ण-अपूर्ण समानार्थक शब्द

पूर्ण-अपूर्ण समानार्थक शब्द से तात्पर्य ऐसे शब्दों से है जो एक प्रसंग में तो पूर्ण समानार्थक शब्द के समान प्रयुक्त होते हैं लेकिन दूसरे प्रसंग में अपूर्ण अर्थात् समानार्थक नहीं होते हैं जिसके कारण इनकी प्रयुक्ति भी पूर्ण समानार्थक शब्द के समान नहीं होती है।

- पूर्ण समानार्थक के उदाहरण पर गौर करें: जैसे वह कपड़े टाँग रहा है। इसमें प्रयुक्त शब्द 'टाँग' (मूल शब्द-टाँगना) का समानार्थक शब्द लटका (मूल शब्द-लटकाना) है। अब यदि इस शब्द को 'टाँग' के स्थान पर प्रयोग करें तो वाक्य

अध्याय
15

शब्द-युग्म

ऐसे शब्द जो वर्ण एवं मात्रा के सूक्ष्म अंतर के बावजूद मोटे तौर पर देखने में समान प्रतीत होते हैं लेकिन उनका यह सूक्ष्म अंतर उनके अर्थों में अंतर ला देता है। यदि भूलवश ऐसे शब्द-युग्म में एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, जैसे– शब्द-युग्म 'अगम' व 'आगम' को लें जिनके अर्थ क्रमशः दुर्गम व आगमन है। इन शब्दों के अर्थों के अंतर को जाने बिना एक की जगह पर दूसरे शब्द के प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अतः यह आवश्यक ही नहीं, वरन् अनिवार्य है कि छात्र समुचित रूप से इन शब्द-युग्मों का अध्ययन करें, ताकि वे सही शब्द-युग्म का प्रयोग करने में सक्षम हो सकें। ऐसे महत्त्वपूर्ण शब्द-युग्म एवं उनके अर्थ एवं वाक्य-प्रयोग को प्रस्तुत किया गया है–

महत्त्वपूर्ण शब्द (शब्द-युग्म) एवं उनके अर्थ

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
अजर	देवता, जो बूढ़ा न हो	अमित	बहुत	आदि	प्रथम, प्रारंभ, वगैरह
अजिर	आँगन	अमीत	शत्रु	आदी	अभ्यस्त
अनिल	वायु, हवा	अंस	कंधा	आरति	विराम
अनल	अग्नि	अंश	हिस्सा, भाग	आरती	पूजा के लिये दीपक, नीराजन
अश्व	घोड़ा	अपेक्षा	आवश्यक	आवरण	पर्दा
अश्म	पत्थर	उपेक्षा	निरादर, अवहेलना	आमरण	मृत्यु तक
अगम	संभव नहीं	अनिष्ट	बुरा	असन	भोजन
आगम	पुराण, आगमन	अनिष्ठ	निष्ठा-रहित	आसन	बैठने की जगह
अंब	माता	अवलंब	सहारा	आदेश	आज्ञा
अंबु	जल	अविलंब	बिना देर किये, तुरंत	उपदेश	शिक्षा, सीख
अक्षि	आँख	अवधि	समय सीमा	आहार	भोजन
अक्षी	आँखवाली	अवधी	हिन्दी की एक बोली	उपहार	भेंट
अभिज्ञ	जानकार	अभिराम	सुंदर	इति	समाप्ति
अनभिज्ञ	अनजान	अविराम	निरंतर, बिना रुके	ईति	दैवी प्रकोप, बाधा
अनुभव	तजुर्बा	अलि, आलि	भौंरा	उद्यत	तैयार
अभिनव	नया	अली, आली	सखी	उद्धत	अक्खड़
उपयोग	व्यवहार में लेना	कंगाल	निर्धन	तरणि	सूर्य
उपभोग	भोगना	कंकाल	अस्थि-पंजर	तरणी	नाव
उत्पाद	उत्पन्न वस्तु	कृतज्ञ	उपकार मानने वाला	तनु	पतला
उत्पात	उपद्रव	कृतघ्न	उपकार को न मानने वाला	तनू	पुत्र
कोढ़ी	कोढ़ से पीड़ित	कृमि	कीड़ा	कड़ी	ज़ंजीर की इकाई
कोड़ी	बीस	कर्मी	कर्मचारी	कढ़ी	दही-बेसन के मिश्रण का व्यंजन
ऋत	सत्य	क्षति	हानि	दस	दस की संख्या
ऋतु	वर्षा, शरद आदि ऋतुएँ	क्षिति	पृथ्वी	दंस	डंक

अध्याय
16

मुहावरे एवं कहावतें (लोकोक्तियाँ)

हिन्दी के 'मुहावरा' शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के 'मुहावर:' शब्द से हुई है। 'मुहावर:' शब्द का अर्थ होता है- अभ्यास करना। इस प्रकार, हिन्दी में 'मुहावरा' का अर्थ बातचीत, बोलचाल या अभ्यास है, जो भाषायी अभिव्यक्ति में विलक्षण और लाक्षणिक अर्थ में प्रयोग किया जाता है।

इसी प्रकार **कहावत** का शाब्दिक अर्थ होता है- **कही हुई बात।** इस अर्थ में वही बातें कहावत होती हैं, जिनमें जीवन के अनुभव या ज्ञान की बातें संक्षिप्त लेकिन विलक्षण ढंग से कही गई हों तथा लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ- लोक (जनसामान्य) की उक्ति (कथन) है।

16.1 मुहावरे

मुहावरा ऐसे पदबंध या वाक्यांश को कहते हैं, जिसका अर्थ सामान्य या शाब्दिक न होकर विलक्षण और लाक्षणिक होता है। अपने इस विशेष गुण के कारण यह सदियों से बोलचाल एवं लेखन में प्रयोग होता आ रहा है।

उदाहरण-

'मच्छर मारना' और 'चांदी का जूता मारना' के शाब्दिक अर्थ क्रमश: न तो मच्छर को मारना है और न ही जूते से मारना। वस्तुत: इन दोनों मुहावरों के अर्थ क्रमश: 'खाली बैठकर समय काटना' और 'धन का लोभ देना' है। यही कारण है कि वर्तमान समय में सामान्य या गुणवत्तापूर्ण वार्ता और लेखन में मुहावरे का प्रयोग अधिकाधिक होता है।

अन्य हिन्दी विद्वानों के अनुसार-

"जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को न बताकर किसी विशेष अर्थ को बतलाता है और प्राय: क्रिया का काम देता है, उसे वाग्धारा या मुहावरा कहते हैं।" **(श्याम चंद्र कपूर)**

"ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का न बोध कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए, मुहावरा कहलाता है।"

(डॉ. वासुदेव नंदन प्रसाद)

"मुहावरा भाषा विशेष में प्रचलित उस अभिव्यक्त इकाई को कहते हैं, जिसका प्रयोग प्रत्यक्षार्थ से अलग रूढ़ि लक्ष्यार्थ के लिये किया जाता है।" **(डॉ. भोलानाथ तिवारी)**

मुहावरों के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ एवं निवारण

मुहावरे के प्रारंभिक विवरण में हमने देखा कि मुहावरा सामान्यजन की भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। यही सामान्यजन मुहावरों के जन्म के स्रोत हैं, मगर वर्तमान समय में सामान्यजन के अलावा उच्च शिक्षित एवं विद्वान वर्ग भी भाषायी गुणवत्ता एवं प्रासंगिक चमत्कारिता के लिये इसका अधिकाधिक प्रयोग करने लगे हैं। इस प्रकार, मुहावरों के व्यापक प्रचलन से उनके प्रयोग में अशुद्धियाँ भी पाई जाती हैं। अशुद्ध मुहावरे के प्रयोग से मुहावरा अर्थहीन हो जाता है, वक्ता या लेखक के कथन ऐसे मुहावरों की प्रयुक्तता के बावजूद प्रभावहीन रह जाते हैं। अत: यहाँ मुहावरों के शुद्ध व अशुद्ध प्रयोग प्रस्तुत हैं–

मुहावरे के शब्दों का स्थान-परिवर्तन

मुहावरे में प्रयुक्त शब्दों के क्रम-परिवर्तन कर देने से मुहावरे अशुद्ध एवं अर्थहीन हो जाते हैं और कथन इसकी प्रयुक्तता के बाद भी इसके प्रभाव एवं औचित्य से अछूता रह जाता है। निम्नांकित उदाहरणों पर ध्यान दें–

अध्याय
17

प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली

प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहा जाता है जिनका प्रयोग किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिये किया जाता है। ये शब्द दैनिक जीवन के शब्द न होकर ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे– गणित, इंजीनियरिंग, भौतिकी, रसायन, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र आदि के विशिष्ट शब्द होते हैं। इनकी अर्थ-सीमा परिभाषित एवं सुनिश्चित होती है तथा इन शब्दों का अर्थ भी निश्चित एवं विशिष्ट होता है, जैसे– अभिकर्त्ता (Agent), समनुदेशन (Assignmnt), भुगतान शेष (Balance of Payment), तुलन पत्र (balance sheet), तेजड़िया (Bull), अधिहरण (Confiscation), परेषण (Consignment) आदि।

प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत उन शब्दों को सम्मिलित किया गया है जो प्रशासनिक कार्यों में सर्वाधिक प्रचलित एवं उपयोगी हैं तथा जिनका प्रयोग प्रशासनिक कार्यों में बार-बार होता है। अत: उन शब्दों का अंग्रेज़ी एवं हिन्दी रूपांतरण जानना अति आवश्यक है, जिससे प्रशासनिक कार्यों को करते हुए आप किसी प्रकार की असहजता का अनुभव न करें।

17.1 अंग्रेज़ी से हिन्दी

इसके अंतर्गत उन अंग्रेज़ी शब्दों को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है जिनका प्रशासनिक व्यवस्था में एवं आधुनिक कार्यप्रणाली में अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है, जिनकी जानकारी रखना बहुत आवश्यक है, जिससे उन शब्दों को सुनने या देखने पर संशय का भाव पैदा न हो सके और उन शब्दों का सही अर्थ जानकर अपने आपको निराश होने से बचाया जा सके तथा अपने आपको खुश रखकर कार्य करने के लिये पहले से अनुकूल बनाया रखा जा सके।

अंग्रेज़ी	हिन्दी
Abstract	सार, संक्षेप
Accused	अभियुक्त
Acquittal	दोषमुक्ति
Adult Education	प्रौढ़ शिक्षा
Allotment	आवंटन
Agent	अभिकर्त्ता
Analysis	विश्लेषण
Applicant	आवेदक
Authorized	प्राधिकृत, अधिकृत
Autonomous	स्वायत्त
Averment	प्रकथन
Await	प्रतीक्षा करना
Accelerator	त्वरक
Act	अधिनियम, कृत्य
Adjournment	स्थगन
Amendment	संशोधन
Analogy	समानता
Annexure	अनुलग्नक
Appointment	नियुक्ति, समयादेश
Assignment	समनुदेशन
Authentic	प्रामाणिक, प्राधिकृत
Attribute	गुण, विशेषता
Additional Fund	अतिरिक्त निधि, अतिरिक्त फंड
Administration	प्रशासन
Amenity	सुख-सुविधा
Apartheid	रंगभेद
Appreciation	सराहना, प्रशंसा
Bad Conduct	दुराचरण
Balance of Payment	भुगतान शेष
Bargaining	सौदेबाज़ी, सौदाकारी
Basement	तहखाना
Blueprint	खाका
Bottleneck	गत्यवरोध
Breach	भंग, तोड़ना, उल्लंघन

अध्याय
18

प्रमुख रचनाएँ एवं रचनाकार

हिन्दी साहित्य में मुख्यत: तीन प्रकार की रचनाएँ गद्य, पद्य तथा चंपू के रूप में मिलती हैं। हिन्दी साहित्य को आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल तथा आधुनिक काल में बाँटा गया है। हिन्दी साहित्य में गद्य रचनाओं का विकास पद्य के बाद हुआ। आदिकालीन साहित्य- सिद्ध साहित्य, नाथ-साहित्य, और रासो साहित्य। भक्तिकालीन रचनाएँ राम तथा कृष्ण काव्यधारा की अनोखी छटा से युक्त हैं। रीतिकालीन रचनाकारों की रुचि केवल आश्रयदाताओं का गुणगान एवं उनकी शासन पद्धति की निपुणता की जानकारी देना नहीं था, बल्कि दरबार की आवश्यकताओं के अनुसार अपनी रचनाओं को रूप प्रदान करना था। आधुनिक काल का साहित्य भारतेंदुयुगीन, द्विवेदीयुगीन, छायावाद तथा छायावादोत्तर काल के विभिन्न रचनाकारों की रचनाओं की अमूल्य निधि है।

हिन्दी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों की पद्य रचनाएँ निम्नलिखित हैं–

आदिकालीन रचनाकार एवं उनकी रचनाएँ

रचनाकार	रचना
चंदरबरदाई	पृथ्वीराज रासो
शार्ङ्गधर	हम्मीर रासो
नरपति नाल्ह	बीसल देव रासो
जगनिक	परमाल रासो
मधुकर	जयमयंक जस चंद्रिका
स्वयंभू	पउम चरिउ
शबरपा	चर्यापद
अब्दुर रहमान	संदेशरासक
कण्हपा	कण्हपाद गीतिका, दोहा कोश
गोरखनाथ	सबदी, पद, सिष्या दासन

भक्तिकालीन रचनाकार एवं रचनाएँ

'हिन्दी साहित्य का स्वर्णकाल' कहे जाने वाले भक्ति काल में संत काव्य, सूफी काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य एवं राम भक्ति काव्य आदि से संबंधित रचनाएँ सम्मिलित हैं।

संत काव्य

रचनाकार	रचना
नानक देव	ग्रंथ साहिब में संकलित (संकलन-गुरु अर्जुन देव)
कबीरदास	बीजक (रमैनी, साखी तथा सबद)
मलूकदास	ज्ञानबोध, रत्नखान

अध्याय
19

मौलिक आत्मकथाएँ एवं कृतिकार

आत्मकथा साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें लेखक स्वयं ही अपने जीवन के संदर्भ में लिखता है। लेखक अपने जीवन से जुड़ी सभी घटनाओं का गहराई से वर्णन करता है। आत्मकथा को अधिक विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि इसमें लेखक अपने जीवन परिवेश, महत्त्वपूर्ण घटनाओं, विचारधारा तथा निजी अनुभवों को तटस्थता एवं निरपेक्षता से प्रस्तुत करता है। आत्मकथा आत्मनिष्ठ तथा आत्मिक होती है। यह लेखक द्वारा बिना किसी कल्पना के कलात्मक ढंग से लिखी जाती है।

कृतिकार/रचनाकार	कृति/रचना
महात्मा गांधी	सत्य के प्रयोग
जवाहरलाल नेहरू	मेरी कहानी
राहुल सांकृत्यायन	मेरी जीवन यात्रा (भाग-1, भाग-2, भाग-3, 4, 5)
दयानंद सरस्वती	स्वरचित आत्मरचित
श्यामसुंदर दास	मेरी आत्म-कहानी
रामविलास शुक्ल	मैं क्रांतिकारी कैसे बना
स्वामी श्रद्धानंद	कल्याण मार्ग का पथिक
महात्मा नारायण स्वामी	आत्मकथा
संत राय	मेरे जीवन के अनुभव
वियोगी हरि	मेरा जीवन प्रवाह
भीष्म साहनी	आज के अतीत
कमलेश्वर	यादों का चिराग, फुरसत के दिन, जलती हुई नदी, जो मैंने जिया
राजेंद्र यादव	मुड़-मुड़कर देखता हूँ
रवींद्रनाथ त्यागी	वसंत से पतझर तक
देवेश ठाकुर	गुजरा कहाँ-कहाँ से
फणीश्वर नाथ रेणु	आत्म-परिचय
रामविलास शर्मा	अपनी धरती अपने लोग, घर की बात
शिवपूजन सहाय	मेरा जीवन
बलराज साहनी	मेरी फिल्मी आत्मकथा
यशपाल जैन	मेरी जीवनधारा
हरिवंश राय बच्चन	बसेरे से दूर, क्या भूलूँ क्या याद करूँ, दशद्वार से सोपान तक
राधाकृष्ण बिरला	भूली बातें याद करूँ
हीरालाल शास्त्री	प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र
सुमित्रानंदन पंत	साठ वर्ष : एक रेखांकन
आचार्य चतुरसेन शास्त्री	मेरी आत्म-कहानी
सेठ गोविंद दास	आत्म-परीक्षण (भाग-1, 2, 3)

अध्याय
20

हिन्दी में सर्वप्रथम

हिन्दी में सर्वप्रथम अध्याय के अंतर्गत हिन्दी से संबंधित सर्वप्रथम/प्रथम गीतकार, कवि, रचना, बड़ा महाकाव्य इत्यादि को सम्मिलित किया गया है।

हिन्दी में प्रथम

हिन्दी से संबंधित सर्वप्रथम/प्रथम गीतकार, रचना, बड़ा महाकाव्य इत्यादि निम्नलिखित हैं-

- हिन्दी के सर्वप्रथम गीतकार : विद्यापति
- हिन्दी साहित्य की प्रथम रचना : पृथ्वीराज रासो
- हिन्दी साहित्य का प्रथम महाकाव्य : पृथ्वीराज रासो
- अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक वैयाकरण : हेमचंद्र
- अपभ्रंश के प्रथम महाकवि : स्वयंभू
- हिन्दी के प्रथम कवि : सरहपा (9वीं सदी)
- हिन्दी की प्रथम रचना : श्रावकाचार
- अपभ्रंश का प्रथम कडवक बद्ध : पउम चरिउ (स्वयंभू)
- अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग : विद्यापति ने 'कीर्तिलता' में
- हिन्दी काव्य में बारहमासा वर्णन का प्रथम प्रयोग : बीसलदेव रासो
- किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना : संदेशरासक (अब्दुर रहमान)
- हिन्दी में चौपाई-दोहा का सर्वप्रथम प्रयोग : सरहपा
- कृष्ण-भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य : सूरसागर
- मुकरियो की शुरुआत : अमीर खुसरो ने
- रामभक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य : रामचरितमानस
- भक्तिकाल को 'हिन्दी काव्य का स्वर्णयुग' घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति : जॉर्ज ग्रियर्सन
- हिन्दी की आदि कवयित्री : मीराबाई
- हिन्दी का प्रथम बड़ा महाकाव्य : पद्मावत (जायसी)
- भक्ति के प्रवर्तक : रामानुज आचार्य
- सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य : हंसावली (असाइत)
- हिन्दी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य : पद्मावत
- हिन्दी के प्रथम सूफी कवि : असाइत
- शुक्लानुसार छायावाद का प्रथम एवं प्रतिनिधि कवि : पंत
- सतसई परंपरा का आरंभ : तुलसी सतसई
- मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्त्ता : निराला 'जूही की कली में'
- छायावाद की प्रथम कृति : झरना
- खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि : श्रीधर पाठक

अध्याय
21

प्रारूप लेखन (पत्र लेखन)

प्रारूप लेखन (पत्र लेखन) के अंतर्गत इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि मध्य प्रदेश राज्य सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम में किस-किस प्रकार के पत्र एवं प्रारूपों को निश्चित किया गया है तथा विगत वर्षों में आयोजित राज्य सिविल सेवा परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति किस प्रकार की थी। इस अध्याय में पत्र/अनौपचारिक पत्र, शासकीय पत्र, अर्द्धशासकीय पत्र, परिपत्र, प्रपत्र, आदेश (कार्यालय आदेश), विज्ञापन, अनुस्मारक (स्मरण-पत्र), पृष्ठांकन, अधिसूचना एवं टिप्पण तथा टिप्पणी एवं प्रतिवेदन लेखन संबंधी महत्त्वपूर्ण प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए प्रत्येक का प्रारूप/नमूना/उदाहरण आदि प्रस्तुत किया गया है जिससे इस खंड से आने वाले सारे प्रश्नों एवं समस्याओं का हल एक जगह हो सके।

21.1 पत्र *(Letter)*

हिन्दी में प्रारूप को रूपरेखा, कच्चा मसौदा या आलेख के रूप में जाना जाता है। इसे अंग्रेजी भाषा में 'ड्राफ्ट' कहते हैं। जब किसी विभाग या कार्यालय में किसी आदेश, परिपत्र, अधिसूचना, प्रतिवेदन, प्रपत्र, शासकीय एवं अर्द्ध-शासकीय आदि पत्र भेजने से पूर्व जो रूपरेखा या ढाँचा तैयार किया जाता है, उसे प्रारूप कहते हैं।

प्रारूप लेखन प्रक्रिया में सर्वप्रथम लिपिक द्वारा किसी पत्र का कच्चा मसौदा तैयार करके स्वीकृति के लिये अधिकारी के पास भेजा जाता है, अधिकारी उसमें आवश्यक संशोधन करके लिपिक के पास भेज देता है। इस तरह से प्रारूप लेखन की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। प्रारूप लेखन में औपचारिकता, तथ्यपरखता, संक्षिप्तता, उद्धरण, पूर्णता, भाषा शैली आदि बातों का ध्यान रखा जाता है।

पत्र की विशेषताएँ

एक अच्छे पत्र की विशेषताएँ निम्नलिखित होती हैं-

- किसी भी पत्र की भाषा-शैली सरल व सहज होनी चाहिये।
- पत्र में विचारों की सुस्पष्टता होनी चाहिये।
- पत्र में संक्षिप्तता एवं संपूर्णता होनी चाहिये।
- पत्र क्रमिक एवं प्रभावशाली होना चाहिये।
- पत्र में व्याकरण की गलती नहीं होनी चाहिये।
- पत्र में शिष्टाचार का ध्यान अवश्य देना चाहिये।

पत्र के प्रकार

पत्र मुख्यत: दो प्रकार के होते हैं-

- **अनौपचारिक पत्र**- ऐसा पत्र, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना निजी (स्वयं का) परिचय देता है, उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। इसमें पत्र भेजने वाले और पाने वाले के बीच घनिष्ठ (व्यक्तिगत) संबंध होता है। यह पत्र माता-पिता, भाई-बहन, मित्र या रिश्तेदारों को लिखा जाता है।
- **औपचारिक पत्र**- ऐसा पत्र, जो केवल सूचनाओं, तथ्यों, जानकारियों आदि के आदान-प्रदान के लिये संप्रेषित किया जाता है तथा जिसमें व्यक्तिगत परिचय का अभाव होता है, उसे औपचारिक पत्र कहते हैं। इसमें व्यक्तिगत रूप से जानने के बाद भी व्यक्तिगत संबंधों का उल्लेख नहीं किया जाता है। जैसे- शासकीय पत्र, अर्द्ध-शासकीय पत्र, परिपत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना इत्यादि।

अध्याय
22

गद्यावतरण का अनुवाद

गद्यावतरण का अनुवाद के अंतर्गत उन महत्त्वपूर्ण परीक्षोपयोगी गद्यांशों को सम्मिलित किया गया है जिससे मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा में पूछे जाने वाले गद्यावतरण संबंधी प्रश्नों को हल करने में सुविधा हो, जैसे- हिन्दी में लिखे गद्यांशों का अंग्रेज़ी में अनुवाद करना तथा अंग्रेज़ी में लिखे गद्यांशों का हिन्दी में अनुवाद करना आदि प्रकार के पूछे प्रश्नों को हल करने में सुविधा हो।

22.1 हिन्दी से अंग्रेज़ी

इसके अंतर्गत उन महत्त्वपूर्ण हिन्दी गद्यांशों को सम्मिलित किया गया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण एवं संभावित हैं, साथ ही उन हिन्दी गद्यांशों का अंग्रेज़ी में अनुवाद भी साथ में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है जिससे अभ्यर्थियों को हिन्दी गद्यांशों का अंग्रेज़ी में अनुवाद करने में समस्या न हों।

- एक आदर्श शिक्षक को एक मित्र, दार्शनिक तथा मार्गदर्शक होना चाहिये। उसका बौद्धिक अहंभाव उसे विद्यार्थियों की राय को पूर्ण रूप से हतोत्साहित या अस्वीकृत नहीं करने देता है, बल्कि विद्यार्थियों के प्रति उसका स्नेही व्यवहार उसे कक्षा में परस्पर संवादात्मक (interactive) होने को प्रोत्साहित करता है। वह अपने छात्रों से प्रश्न करता है तथा उन्हें अपनी राय अभिव्यक्त करने के लिये उत्साहित करता है। प्रश्नों से महत्त्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति होती है। वह विद्यार्थियों को सोचने के लिये प्रोत्साहित करता है और इस प्रकार वह एक प्रभावशाली तरीके के रूप में उनके मस्तिष्कों को जीवंत रखता है। परिणामस्वरूप, विद्यार्थियों का दृष्टिकोण भी शिक्षक में नए विचारों को प्रोत्साहित कर सकता है तथा उसे एक नई अंतर्दृष्टि दे सकता है। सिखाने के लिये सीखना होता है। अतः एक आदर्श अध्यापन-अध्ययन प्रक्रिया एकतरफा संप्रेषण नहीं है। इसमें शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों का कल्याण निहित है।

  अंग्रेज़ी में अनुवादः An ideal teacher is supposed to be a friend, philosopher and guide. His intellectual egotism does not lead him to reject or discourage student's opinions altogether. Rather, his loving attitude towards students motivates him to be interactive in the classroom. He questions his students and encourages them to express their opinions. Questions serve an important purpose. They stimulate student's minds to think, and thus serve as student's minds an effective way of animating their minds. In turn, the viewpoints of the students can stimulate new lines of thought in the teacher and offer him new insights. To teach is to learn. Hence, the ideal teaching–learning process is not a one–way traffic. It is intended for the welfare of both teacher and student.

- वर्तमान समय में हमारे समक्ष मोहनदास करमचंद गांधी का उदाहरण है, जिन्हें दुनिया महात्मा के नाम से संबोधित करती है। विश्व शांति एवं अहिंसा के संबंध में उनके विचार विश्व शांति में भारत के योगदान के साक्षी हैं। उनके संदेश अनेक देशों और लोगों के लिये महान प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला जैसे विश्व के नेताओं ने अपने मूल निवासियों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिये उनके सिद्धांतों का पालन किया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसा और सविनय अवज्ञा की। उनकी अद्वितीय अवधारणाएँ इतनी आकर्षक थीं कि अंग्रेज़ों ने भी इनकी सराहना की।

  अंग्रेज़ी में अनुवादः In modern times, we have Mohandas Karamchand Gandhi, whom the world praises by the name of Mahatma. His ideas of peace and non–violence are the testimonials of India's contribution to World Peace. His messages were sources of great inspiration for many nations and people throughout. World Leaders like Martin Luther King and Nelson Mandela carried out his principles for securing freedom for their natives. And in India's struggle of Independence, his unique concept of non–violence and civil disobedience were that great and appealing that it brought appreciation even from the mouth of the British.

- संसार में कदाचित् ही कोई ऐसी इमारत होगी, जो सौंदर्य और वैभव में ताजमहल की बराबरी कर सकती हो। यह एक सुंदर उद्यान से घिरा हुआ है। संतरी की भाँति खड़े हुए सरो के वृक्ष, वायु को सुगंधित करते हुए खिले पुष्प, संगमरमर के हौज में मछलियों का आह्लादपूर्ण नृत्य और सामने उल्लास से क्रीड़ा करते हुए फव्वारे, इस भव्य भवन का बहुत ही

अध्याय
23

गद्यांश का संक्षेपण एवं भाव-पल्लवन

इस अध्याय के अंतर्गत मध्य प्रदेश सिविल परीक्षा के सामान्य हिन्दी से संबंधित दिये गए सिलेबस (पाठ्यक्रम) के अनुसार तथा विगत परीक्षाओं में पूछे गए अपठित गद्यांश से संबंधित विभिन्न प्रश्नों, जैसे– अपठित गद्यांश का एक-तिहाई शब्दों में संक्षेपण तथा उसी अपठित गद्यांश की कुछ रेखांकित पंक्तियों का अपने शब्दों में भाव-पल्लवन करना आदि को ध्यान में रखते हुए परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण अपठित गद्यांशों को सम्मिलित किया गया है।

संक्षेपण का तात्पर्य

किसी विस्तृत विवरण, वक्तव्य, व्याख्या, भाषण, पत्र, लेख आदि के सारगर्भित एवं संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण को संक्षेपण कहते हैं।

डॉ. वासुदेवनंदन प्रसाद जी के शब्दों में कहा जाए तो किसी विस्तृत विवरण, सविस्तार व्याख्या, वक्तव्य, पत्र-व्यवहार या लेख के तथ्यों और निर्देशों के ऐसे संयोजन को 'संक्षेपण' कहते हैं, जिसमें अप्रासंगिक, असंबद्ध, पुनरावृत्त, अनावश्यक बातों का त्याग और सभी अनिवार्य, उपयोगी तथा मूल तथ्यों का प्रवाहपूर्ण संक्षिप्त संकलन हो।

निम्नलिखित गद्यांश का एक-तिहाई शब्दों में संक्षेपण तथा रेखांकित पंक्तियों का अपने शब्दों में भाव-पल्लवन कीजिये।

गद्यांश-1

'रामचरितमानस' के उत्तरकांड में गरुड़ ने काकभुशुंडि से सात प्रश्न पूछे हैं। वे प्रश्न मानवीय अस्तित्व के बुनियादी प्रश्न हैं और उनके उत्तर भी उतने ही अर्थवान। जितने संक्षिप्त प्रश्न उतने ही सारगर्भित उत्तर। जैसे तुलसी अपने जीवन भर के अनुभवों का निचोड़ दे रहे हों। गरुड़ का एक प्रश्न है- 'बड़ दु:ख कवन, कवन सुख भारी' अर्थात् सबसे बड़ा दु:ख और सबसे बड़ा सुख क्या है? काकभुशुंडि एक ही चौपाई में इसका जो उत्तर देते हैं, वह तुलसी जैसा बड़ा कवि ही लिख सकता था। वे कहते हैं- 'नहि दरिद्र सम दु:ख जग माहीं, संत मिलन सम सुख जग नाहीं' अर्थात् दारिद्र्य के समान कोई दु:ख नहीं और संत मिलन के समान कोई सुख नहीं है। विचार करें कि यदि दारिद्र्य सबसे बड़ा दु:ख है तो उसका उल्टा अर्थात् आर्थिक संपन्नता को सबसे बड़ा सुख कहना चाहिये। मगर तुलसी ऐसा नहीं कहते हैं।

संक्षेपण

तुलसीकृत 'रामचरितमानस' के उत्तरकांड में गरुड़ के प्रश्न तथा काकभुशुंडि के उत्तर वर्णित हैं। ये प्रश्नोत्तर संक्षिप्त तथा सारगर्भित हैं, साथ ही जीवन के मूलभूत प्रश्न हैं। एक प्रश्न में गरुड़ सबसे बड़ा सुख तथा सबसे बड़ा दु:ख को जानना चाहता है। उसके उत्तरस्वरूप काकभुशुंडि कहते हैं- गरीबी के समान कोई दु:ख नहीं है और संत मिलन के समान कोई सुख नहीं है। अगर देखा जाए तो अमीरी सबसे बड़ा सुख का भी कारण हो सकता है मगर तुलसीदास ऐसा नहीं मानते।

भाव-पल्लवन

- सबसे बड़ा दु:ख और सबसे बड़ा सुख क्या है?

जीवन के तमाम उतार और चढ़ाव के बाद मनुष्य अपने जीवन में जिस मूल प्रश्न से रूबरू होता है, वह है- सबसे बड़ा दु:ख और सबसे बड़ा सुख। यहाँ दु:ख का अर्थ शारीरिक पीड़ा नहीं बल्कि वेदना है जो मनुष्य के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। वहीं खुशी का आशय तात्कालिक या क्षणिक खुशी नहीं बल्कि आनंद की स्थिति है जिस स्थिति में कोई दु:ख- परेशानी नहीं होती है।

- दारिद्र्य के समान कोई दु:ख नहीं और संत मिलन के समान कोई सुख नहीं है।

ज़िंदगी के तमाम सवालों से टकराता मनुष्य जब दु:ख और सुख के उत्तरों की तलाश करता है तो पाता है कि गरीबी, अभाव, वंचना के समान कोई दु:ख नहीं है क्योंकि गरीबी अन्य कई दु:खों का कारण है। वहीं अगर सुखों की बात करें तो संतजनों, बुद्धिमान लोगों एवं चरित्रवान लोगों के मिलन के सुखों के आगे सभी सुख फीके हैं क्योंकि संत मिलन होने के बाद व्यक्ति जीवन की तमाम उलझनों को भूलकर आनंद की स्थिति में चला जाता है।

अध्याय
24

गद्यांश तथा उनसे संबंधित प्रश्न-उत्तर

इस अध्याय के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के सामान्य हिन्दी के लिये निर्धारित नवीन पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा विगत वर्षों में आयोजित की गई मुख्य परीक्षा के सामान्य हिन्दी के प्रश्न पत्र में पूछे गये गद्यांश तथा संबंधित प्रश्नों की प्रकृति समझते हुए महत्त्वपूर्ण गद्यांश एवं उनसे संबंधित प्रश्न-उत्तर प्रस्तुत किये गए हैं।

ध्यान रखने योग्य महत्त्वपूर्ण बातें-

दिये गए गद्यांशों के उपयुक्त शीर्षक संबंधी प्रश्न का उत्तर देने के लिये उपरोक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा पढ़ने के उपरांत उसका मूल भाव समझ में आ जाएगा कि गद्यांश का मूलभाव क्या है, इसी प्रकार अन्य पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिये पहले प्रश्नों को पढ़ना एवं समझना चाहिये कि प्रश्न क्या उत्तर जानना चाहता है, उसके उपरांत ही गद्यांश को पढ़ते समय प्रश्न का सही जवाब खोजें अत: इसी प्रकार अन्य प्रश्नों के संबंध में यही तरीका (विधि) अपनाने का प्रयास करें।

निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिये:

गद्यांश-1

कभी-कभी लोग अपने कुटुंबियों या स्नेहियों से झगड़कर क्रोध में अपना ही सिर पटक देते हैं। यह सिर पटकना अपने को दु:ख पहुँचाने के अभिप्राय से नहीं होता क्योंकि बिल्कुल बेगानों के साथ कोई ऐसा नहीं करता। जब किसी को क्रोध्र में अपना ही सिर पटकते या अंग-भंग करता देखें तब समझ लेना चाहिये कि उसका क्रोध ऐसे व्यक्ति के ऊपर है जिसे उसके सिर पटकने की परवाह है अर्थात् जिसका सिर फूटने से उस समय नहीं तो आगे चलकर दु:ख पहुँचेगा। क्रोध का वेग इतना प्रबल होता है कि कभी-कभी मनुष्य यह भी विचार नहीं करता कि जिसने दु:ख पहुँचाया है, उसमें दु:ख पहुँचाने की इच्छा थी या नहीं। कभी ऐसे ही मनुष्य अचानक पैर कुचल जाने पर किसी को मार बैठता है और कभी ठोकर खाकर कंकड़-पत्थर तोड़ने लगता है।

प्रश्न

(i) उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिये।
(ii) अचानक पैर कुचल जाने पर मनुष्य किसी को क्यों मार बैठता है?
(iii) यह सिर पटकना अपने को दु:ख पहुँचाने के अभिप्राय से क्यों नहीं होता है?
(iv) व्यक्ति क्रोध में अपना सिर पटककर किसको, क्या दिखाता है?
(v) क्रोध में व्यक्ति क्या-क्या कर लेता है? और क्यों?

उत्तर

(i) उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक 'क्रोध-प्रभाव' है।
(ii) अचानक पैर कुचल जाने पर मनुष्य किसी को इसलिये मार बैठता है क्योंकि क्रोध का वेग इतना प्रबल होता है कि उसके कारण विवेक-बुद्धि सही रूप में कार्य नहीं करती है अर्थात् नष्ट हो जाती है जिसके कारण पीड़ित व्यक्ति उस समय बिना विचार किये किसी को मार बैठता है।
(iii) यह सिर पटकना अपने को दु:ख पहुँचाने के अभिप्राय से नहीं होता है क्योंकि बेगानों के कारण उद्भूत हुए दु:ख के लिये वह प्रतिक्रियास्वरूप उसे कष्ट पहुँचाता है परंतु अपनों से सृजित दु:ख में अत्यधिक जुड़ाव से उसके दु:ख से संबंधित व्यक्ति भी दु:खी होता है। अत: वह खुद को कष्ट पहुँचाता है।
(iv) व्यक्ति क्रोध में अपना सिर पटककर उन लोगों को दिखाना चाहता है जिनको उसके दु:ख या कष्ट से तत्काल में तो नहीं पर बाद में अवश्य पीड़ा पहुँचती है।

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्र का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- क्विक रिवीजन हेतु प्रत्येक अध्याय में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का संकलन।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS
YouTube Drishti IAS
drishtiias
drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phones : 011-47532596, +91-8130392354, 813039235456